नगर पंचायत रिवाल्सर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन |
अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023
भाग-एक

1. प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या:1-376/81-फिन(एल.ए.) खण्ड- IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर पंचायत रिवाल्सर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक का अंकेक्षण कार्य हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया। **अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.23 के दौरान नगर पंचायत रिवाल्सर में प्रधान व सचिव के पद पर निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत रहे:-**

(i) प्रधान

क्रमांक	**नाम**	**अवधि**
1	**श्रीमती सलोचना देवी**	**1-4-22 से 31-3-23**

(ii) सचिव :-

क्र.स.	**नाम**	**अवधि**
1	श्री ओम प्रकाश ठाकुर	1-4-22 से 31-3-23

(ख) अनियमितताओं का सार :- नगर पंचायत रिवाल्सर के लेखाओं अवधि 01.04.2022 से 31.03.23 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है: -

क्रम सं.	**अनियमितताओं का सार**	**पैरा सं.**	**राशि (₹ लाखों में)**
1	प्राप्त राशि की प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में दर्ज न करना |	9	0.30
2	अनुदानों की राशि उपयोग हेतु शेष पाया जाना |	10 क	247.07

3	गृह कर की वसूली शेष		11	45.67
4	दुकानों के किराये की बकाया वसूली हेतु शेष पाया जाना|	12 क	4.95
5	घर द्वार से कूड़ा उठाने की फ़ीस की कम वसूली		13	4.14
6	कनिष्ठ अभियंता को अधिक भुगतान		16	0.86
7	निर्माण कार्यों बिलों से स्त्रोत पर काटी गई कर राशियों को सम्बन्धित विभागों में जमा न करवाना		21	3.54

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कारवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट– I**, पर दर्शाई गई है । गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कारवाई नहीं की जा रही है, जोकि अत्यंत चिंताजनक है। अंकेक्षण अधियाचना स० 95 ,दिनाक 7-6-23 द्वारा गत वर्षो के अंकेक्षण प्रतिवेदनो के पैरो पर कार्यवाही करके अंकेक्षण को प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था | अतः नगर पंचायत द्वारा इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान द्वारा कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

भाग - 2

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

नगर पंचायत रिवाल्सर के लेखाओं अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में समाविष्ट है, श्री विकास धवन, सहायक नियन्त्रक द्वारा अवधि 25.5.2023 से 30.06.2023 के दौरान नगर पंचायत के रिवालसर स्थित कार्यालय में निष्पादित किया गया । विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 4/2022 तथा व्यय के लिए माह 9/2022 के लेखों का चयन किया गया ।

अस्वीकरण :- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन नगर पंचायत के सचिव द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अंकेक्षण मे प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। पंचायत द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत/अधूरी सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने

की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

नगर पंचायत रिवाल्सर के लेखाओं अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक के अंकेक्षण का शुल्क ₹18000/- आँका गया। सचिव , नगर पंचायत रिवालसर को सहायक नियंत्रक , लेखा परीक्षा की अधियाचना संख्या:118 ,दिनांक 28. 06.2023 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग , शिमला-9 को भेजने का अनुरोध किया गया। सचिव, नगर पंचायत रिवालसर द्वारा अंकेक्षण शुल्क ₹18000/- बैंक ड्राफ्ट स०265510, दिनांक 30-6-23 द्वारा निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया है |

4 वितीय स्थिति:-

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट '2'** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार नगर पंचायत की अवधि 01.04.2020 से 31.03.2023 की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है:- [Annexure- 2]

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**स्वः स्त्रोत से आय**	**अनुदान से आय**	**ब्याज की प्राप्ति**	**कुल योग**	**कुल व्यय**	**अंतिम शेष**
2022-23	37400511	2468419.30	11071589	1623392	52563911.30	27071483	25492428.30

Closing balances of Bank A/cs as on 31-3-22 (Annexure- 3) --------------₹15554769.30

Add FDRs:-(Annexure-4)-- ---- ₹10000000.00

Total ---------------------₹25554769.30

Closing balance as per cash book as on 31-3-23----------------------------₹25492428.30

Difference--- ₹62341.00

Bank Reconciliation Statement as on 31-3-23 :-

Closing Balance as per cash book		Rs.25492428.30
Add:- Cheques issued but not presented in Bank	Amount	
Ch. No.689324,dated 22-3-23	1508.00	
Ch. No.689333,dated 27-3-23	31360.00	
Ch. No.689335,dated 27-3-23	4400.00	

Ch. No.689337,dated 27-3-23 Ch. No.689338,dated 27-3-23 Ch. No.704396,dated 20-9-23 Ch. No.687811,dated 1-12-22	10000.00 13923.00 850.00 300.00	(+) 62341.00
	Total	25554769.30

Closing balance as perBank A/cs + FDR.--------------------------Rs. 25554769.30

5 प्रोभ्दवन लेखांकन के साथ डबल एंट्री वही खाता पद्धति का उपयोग न करने बारे :-

निदेशक ,शहरी विकास हि० प्र०पत्र स०UD-H (c)-15 -49 /2003-iii/3332-3279, दिनांक 25-03-09, स०UD-H (c)-15 -49 /2003-iii/9337-9385,दिनांक 7-9-09 व स० UD-H(c)-15 -49 /2003-IV/5215 -63,दिनांक 19-7-10 द्वारा सभी नगर परिषद व नगर पंचायत को लेखा खा तों का रख -रखाव प्रोभ्दवन लेखांकन के साथ आय व व्यय को रिकार्ड करने के लिए डबल एंट्री पद्धति का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत रिवाल्सर द्वारा लेखा खाता का रख -रखाव प्रोभ्दवन लेखांकन के साथ आय व व्यय को रिकार्ड करने के लिए डबल एंट्री पद्धति का उपयोग नहीं किया जा रहा था बल्कि अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया था जोकि अनियमित है | इसके अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा बही खाते, तलपट, आय व व्यय खाता तथा तुलन-पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: भविष्य में प्रोभ्दवन लेखांकन के साथ डबल एंट्री वही खाता पद्धति का उपयोग करके बही खातों का रख-रखाव करना सुनिश्चित किया जाए व अंतिम लेखें अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएँ।

6 (क) पेंशन फण्ड :-

नगर पंचायत रिवाल्सर की पेंशन फण्ड की रोकड़ बही के अनुसार पेंशन फण्ड की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-**(परिशिष्ट – 5)**

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियाँ	व्यय	कुल योग	भुगतान	कुल व्यय
2022-23	**327807**	**115608**	**9816**	**453231**	**160907**	**292324**

Bank A/c No. 32110102175, balance as on 31-3-23--------------₹292324

(ख) भविष्य निधि का नियमानुसार गठन न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नियमानुसार सचिव द्वारा भविष्य निधि का गठन नहीं किया गया था जबकि अभिदाता ओं के व्यक्तिगत खाते बैंक में खोले गये थे जिस में केवल बचत खाते का ब्याज ही प्राप्त हो रहा था| अत: परामर्श दिया जाता है कि सभी व्यक्तिगत खा तों को बंद करके भविष्य निधि का गठन किया जाये तथा एक भविष्य निधि का खाता खोल कर नियमानुसार रख-रखाव किया जाये व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण में अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये |

7 नगर पंचायत के गत तीन वर्षों का आय-व्यय का विवरण :-

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**स्वः स्त्रोत**	**अनुदान**	**ब्याज**	**कुल योग**	**भुगतान**	**अन्तिम शेष**
2020-21	54074744	1406545	13247390	1307342	70036021	15931177	54104844
2021-22	54104844	1374628	9740259	2623907	67843638	30443127	37400511
2022-23	37400511	2468419.30	11071589	1623392	52563911.30	27071483	25492428.30

8 निवेश:-

(i) नगर पंचायत रिवाल्सर द्वारा **परिशिष्ट -(4)** पर उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनाँक 31.03.2023 को निम्न वर्णित ₹10000000/- सावधि जमा मे निवेशित थी।

Sr. No	**FDR No & A/C No**	**Invested Amount**	**Date of Investment**	**Maturity Value**	**Date of Maturity**	**Rate of Interest**	**Period**
1.	2669129(HPS Co-Op Bank)	10000000	30.3.2022	10525000 (10186024)	30.03.2023 (Prematurd on14-10-22)	5.25 %	One year (Premat ured on 14-10-22)
2.	2669130(HPS Co-Op Bank)	10000000	01.04.2022	10525000	01.04.23	5.25 %	One year

अतः सावधि जमा को परिपक्कता तिथि को भुनाना या पुनः निवेश करना सुनिश्चित किया जाए |

9 प्राप्त रोकड़ राशि ₹0.30 लाख की प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में दर्ज न होना :-

नगर पंचायत रिवाल्सर की वर्ष 2022-23 में प्राप्त आय की जाँच रसीद बुको से करने पर पाया गया कि रसीद स०10584/66, दिनांक 3-3-23 द्वारा श्री लक्ष्मी दत्त से सिक्योरिटी राशि ₹25000/- व रसीद स० 10585/66, दिनांक 3-3-23 द्वारा श्री कर्म सिंह से ₹5000/- सिक्योरिटी राशि के रूप में प्राप्त किये गये थे परन्तु उपरोक्त राशियों की प्रविष्टियाँ रोकड़ भी में दर्ज नही पाई गई | अंकेक्षण अधियाचना स० 99, दिनांक 13-6-23 द्वारा प्राप्त राशियों की प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट करने का अनुरोध सचिव, नगर पंचायत से किया गया था परन्तु कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया | अत: प्राप्त राशियों की रोकड़ प्रविष्टियों से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा राशि की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

10 अनुदान:-

(क) नगर पंचायत द्वारा यथा **परिशिष्ट "6"** पर प्रस्तुत सूचनानुसार अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 से सम्बन्धित अनुदानों की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**भुगतान**	**अंतिम शेष**
2022-23	36615163	11071589	47686752	22979725	24707027

(क) अनुदानों की ₹247.07 लाख उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

अनुदानों की यथा **परिशिष्ट "6 'क' व 'ख "** पर प्रस्तुत विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त अनुदान राशि मे से नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31.3.2023 को ₹24707027/- उपयोग हेतु शेष थी , जबकि अनुदानों की राशियाँ को निश्चित अवधि के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है । अत: जो राशियाँ समयबद्ध उपयोग नहीं की गई है इस सन्दर्भ में अनुपयोग अनुदान राशियों को समयबद्ध उपयोग न किए जाने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए इन्हें सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय/उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए , अन्यथा इन राशियों का प्रत्यार्पण संबन्धित विभाग को किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

11 नगर पंचायत द्वारा गृहकर ₹45.67 लाख की वसूली शेष :-

नगर पंचायत रिवाल्सर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-3-23 को गृहकर के रूप में ₹4567142/- की राशि वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:- **(परिशिष्ट -7)**

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**माँग**	**कुल योग**	**प्राप्ति**	**प्राप्ति योग्य शेष**
2022-23	4195203	457886	4653089	85947	4567142

गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि गृहकर की वसूली योग्य कुल राशि ₹45.67 लाख में से केवल निम्न गृहकर दाता ओं से लगभग ₹281602/-की वसूली दिनांक 31-3-23 तक शेष थी **।(परिशिष्ट – 7 क)** अतः बड़े कर दाता ओं से वसूली सुनिश्चित की जाये व छोटे गृहकर दाता से भी समय पर गृहकर की वसूली सुनिश्चित की जाए।

Sr.No.	**Name**	**ward No.**	**Amount**
1	**Sh Dhanjai Sharma**	**06**	**36688**
2	**Sh.Surjit Singh**	**06**	**19183**
3	**Sh. Jeevan Lal**	**06**	**14835**
4	**Secretary,G.P. Lower Rewalsar**	**06**	**97235**
5	**Sh.Dhanjai Sharma**	**06**	**38483**
6	**Sh. Khub Ram**	**07**	**19235**
7	**Sh.Naveen Gupta**	**02**	**13020**
8	**B.S.N.L**	**06**	**12848**
9	**Sh.B.D.Sharma**	**05**	**11047**
10	**Sh. Kailash**	**05**	**9660**

11	Sh. Dharm Pal	05	9368
		Total	281602

12 **(क) दुकानों के किराये की बकाया ₹4.95 लाख वसूली हेतु शेष :-**

किराया माँग व संग्रह के लेखों का अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31-03-2023 को **परिशिष्ट–(8)** के अनुसार दुकानों के किराए की बकाया ₹495865/- वसूली हेतु शेष थी। नगर पंचायत द्वारा बकाया मासिक किराये की राशि को प्राप्त करने हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है , जोकि अत्यंत चिन्ता का विषय है। अत: मासिक किराये की बकाया राशि नियमित रूप से प्राप्त न किए जाने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) दुकानों के किराये पर वस्तु एवं सेवा कर के रूप में ₹48768-00 (लगभग) की वसूली न करना :-

नगर पंचायत रिवाल्सर द्वारा अपने क्षेत्र में किराये पर दी गई दुकानों के किराये की वर्ष 2022-23 की कुल मांग ₹270936/- पर GST की वसूली नही की जा रही थी जबकि वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के अंतर्गत किराए पर 18% वस्तु एवं सेवाकर की वसूली की जानी अपेक्षित है। वस्तु एवं सेवाकर की नियमानुसार वसूली न करने के कारण से वर्ष 2022-23 में सरकार के राजस्व में ₹48768/-की हानि हुई | अत: किराये के साथ वस्तु एवं सेवाकर की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में वस्तु एवं सेवाकर की वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए |

(ग) बकाया राशि ₹4.95लाख की वसूली का विवरण प्रस्तुत न करना :-

नगर पंचायत रिवाल्सर द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट-8** में ₹495865/- की वसूली दर्शाई गई थी परन्तु यह राशि किन-किन दुकानदारों से वसूली जानी है, का कोई विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया न ही कोई विवरण किराया मांग व वसूली रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था | अंकेक्षण अधियाचना स० 98, दिनांक 12-6-23 द्वारा सचिव,नगर पंचायत से उन्ह दुकानदारो की सूची उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया जिनसे ₹495865/- की वसूली करना शेष थी, परन्तु कोई भी विवरण अंकेक्षण अवधि में प्रस्तुत नही किया गया | अत: बकाया किराये की वसूली हेतु प्रत्येक

दुकानदार का विवरण तैयार करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व मांग व वसूली रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाये |

13 वर्ष 2022-23 में घर द्वार से कूड़ा उठाने की फ़ीस ₹4.14 लाख की वसूली कम करने बारे:-

नगर पंचायत रिवाल्सर के अंकेक्षण अवधि के लेखो की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में घर द्वार से कूड़ा उठाने का शुल्क तय किया गया था | घर द्वार से कूड़ा उठाने का शुल्क पंचायत द्वारा प्रत्येक घर /परिवार से वसूल किया जा रहा था | पंचायत के क्षेत्र में कितने परिवार /घर /दुकानें /व्यासायिक परिसर है का विवरण अंकेक्षण को प्रस्तुत करने का अनुरोध सचिव, नगर पंचायत से किया गया तथा उपलब्ध अभिलेख की जाँच पंचायत द्वारा तय शुल्क के साथ करने पर पाया गया कि वर्ष 2022-23 में ₹414940/- की वसूली कम की गई थी | अत: वर्ष 2022-23 में कूड़ा एकत्रित करने के शुल्क की वसूली कम करने का पूर्ण स्पष्टिकरण अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये तथा कम वसूल राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये | इसके अतिरिक्त मांग व वसूली रजिस्टर लाभार्थी वार बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

क्रम स०	**परिसर का विवरण**	**संख्या**	**मासिक शुल्क**	**2022-23 में वसूली हेतु राशि**	**2022-23 में वसूल राशि**	**कम वसूल राशि**
1	आवासीय मकान	1180	30	424800	402980	817920 - 402980 =
2	दुकानें	340	60	244800		414940
3	वैजिटेबल दुकाने	16	110	21120		
4	मेडिकल स्टोर	12	110	15840		
5	कार्यलय	19	260	59280		
6	स्कूल	5	110	6600		
7	होस्पिटल	1	510	6120		
8	बैटनरी होस्पिटल	1	110	1320		
9	होटल	11	200	26400		
10	Guru dwara sahib	1	310	3720		
11	कॉलेज	1	110	1320		
12	सराय मन्दिर	5	110	6600		
			कुल राशि	817920		

14 रैहन बसेरा की पट्टा राशि (Lease amount) ₹14.07 लाख की वसूली न करने बारे :-

नगर पंचायत रिवाल्सर द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में निर्मित रैहन बसेरे को अवधि 1-5-21 से 30-4-26 तक ₹1407000/- पर पट्टे पर दिया गया था तथा पट्टेदार द्वारा प्रत्येक छः माह में (दस समान किस्तों में) ₹140700/- की क़िस्त राशि नगर पंचायत में जमा करवाना , अनुबंध के अनुसार आवश्यक था | लेखों की जाँच में पाया गया की पट्टेदार द्वारा कोई भी राशि दिनांक 31-3-23 तक पंचायत में जमा नही की गई थी | अंकेक्षण अधियाचना स० 99 ,दिनांक 13-6-23 द्वारा सचिव नगर पंचायत रिवालसर से रै हन बसेरे की आय प्राप्त न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया | अत:इस सम्बन्ध में पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुबंध के अनुसार पट्टा राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹1.06 लाख के सामानो का क्रय -:

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरो की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित सामानों का क्रय करते समय HPFR-2009 के नियम 91 से 104 में दी गई औपचारिक्ताओ को पूर्ण नहीं किया गया था -:

Sr. No.	Voucher No./Month	Name of Firm	Bill No./Date	Iteams	Amount
1	15/11-22	M/s Jai Durga Hardware store	4950/12-4-22	Paints,Terrocotta,Brush etc.	8860
2	16/11-22	M/s Pawan Kumar & Bros.	438/30-8-22	Crowbar,Kudali,Kassi,Tashla,Rope etc.	5820
3	16/11-22	M/s Pawan Kumar & sons	148/3-3-21	Angles,MS winding wire etc.	14761
4	16/11-22	do	181/3-4-21	Channel,MS Plates etc.	5057
5	16/11-22	do	570/2-11-22	Water tank,N[pple,socket etc.	8835
6	8/11-22	M/s Chandan Arts	2627/30-9-22	Inaugration Plate	8850
7	20/01-23	M/s S.S.Electrical,sec.70,Mohali	1708/10-12-22	20w LED cip,LED Driver etc.	14999
8	15/3-23	M/s Audio Video Service	1813/5-10-23	Repair of Glow Sign Board	9000
9	15/3-23	M/s Audio Video Service	1850/26-10-23	PVC Conduit	10356

				pipe,PVC Board,J.Box etc.	
10	15/3-23	M/s Audio Video Service	1913/23-10-23	Wires, Switch,MCB Box,Main Switch etc.	20130
				Total	106668

वाउचरो की जाँच में पाया गया कि ₹106668/-के उपरोक्त सामानों का क्रय करते समय कुटेशनो को नगर पंचायत के कनिष्ठ अभियंता द्वारा अपने स्तर पर बाज़ार से इकठ्ठा किया गया था तथा सभी कुटेशने बंद लिफाफे में न लेकर खुली हुई प्राप्त की गई थी |कुटेशनो को क्रय समिति के द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था व व्यय वाउचरो के साथ N.IQ.व आपूर्ति आदेश की कापी भी संलग्न नहीं थी| फर्मो से प्राप्त कुटेशनो में क्रय सामानों का (Make model and specification) विशेष विवरण भी नहीं दिया गया था जिस के अभाव में विभिन्न फर्मो की दरों की तुलना सम्भव नही हो सकी | अंकेक्षण अधियाचना स०115 ,दिनांक 26-6-23 द्वारा क्रय सामानों हेतु अपनाई गई सभी औपचारिक्ताओ को पूर्ण रूप से अंकेक्षण को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया जिस से यह प्रतीत होता है की स्टॉक/स्टोर का क्रय करते समय औपचारिक्ताओ को पूर्ण नहीं किया गया था जिसका पूर्ण स्पष्टिकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये तथा उपरोक्त क्रय सामानों के बाजारी भाव व फर्मो द्वारा दी गई दरों /गुणवता की जाँच करना भी सुनिश्चित करते हुए भविष्य में सामान का क्रय करने से पूर्व सभी औपचारिक्ताओ को पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाये तथा उपरोक्त औपचारिकताओं को पूर्ण किए बगैर क्रय की गई सामग्री को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 कनिष्ठ अभियंता को ₹0.86 लाख का अधिक भुगतान बारे :-

नगर पंचायत रिवाल्सर में अंकेक्षण अवधि में ,अंकेक्षण अधियाचना स० 107,दिनांक 19-6-23 द्वारा नगर पंचायत के कर्मचारियों के 01-01-16 से संशोधित वेतनमान जाँच हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था तथा जाँच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र स० Fin(PR)B(7)-1 /2021,दिनांक 03-1-22 के दिशा निर्देशों के अनुसार कनिष्ठ अभियंता श्री अजय कुमार को दिनांक 01-01-06 से ग्रेड पे ₹3800/- पर वेतन संशोधन किया जाना प्रस्तावित था जबकि उक्त कर्मचारी को ग्रेड पे ₹5400/- पर वेतन का संशोधन किया गया था जोकि उक्त पत्र में दिए गये निर्देशानुसार देय नही था ,जिससे कर्मचारी को **परिशिष्ट –9** , के अनुसार दिनांक 01-03-

22 से माह 31-03-23 तक ₹86447/- का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है | संशोधित वेतन की पुन: जाँच करने का अनुरोध किया गया परन्तु कोई भी कार्यवाही अंकेक्षण अवधि में नहीं की गई | अत: दिनांक 01-01-16 से संशोधित वेतन मान की अपने स्तर पर पुन जाँच करके अधिक भुगतान राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये | कर्मचारी को भुगतान योग्य वेतन का विवरण निम्नलिखित है :-

दिनांक		**भुगतान योग्य मूल वेतन एव ग्रेड पे (Due)**
30-9-12	Notional Pay	14160+3800 =17960
1-7-13		14700+3800 =18500
1-7-14		15260+3800 =19060
1-7-15		15840+3800 =19640
Pay fixation	w.e.f.1-1-16 under HPCS	(RP) rules 2022 as 0n 1-1-16,
19640X2.59 =	50868.	
1-1-16	Level-11, Cell-11	51800
1-7-16		53400
1-7-17		55000
1-7-18		56700
1-7-19		58400
1-7-20		60200
1-7-21		62000
1-7-22		63900

17 सीमेंट स्टॉक रजिस्टर में 40 बैग कम दर्ज करने बारे :-

नगर पंचायत रिवाल्सर के सीमेंट स्टाक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर पेज स० 84 ,दिनांक 07-06-23 को 59 बैग सीमेंट शेष था तथा दिनांक 8-6-22 को चालान स० 7254756 द्वारा हि० प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से 240 बैग का क्रय करने के बाद सीमेंट बैग की कुल मात्रा 299 बैग होनी चाहिए थी जबकि स्टॉक रजिस्टर में सीमेंट की कुल मात्रा 259 बैग दर्ज की गई थी जोकि वास्तविक शेष से 40 बैग कम थे | रजिस्टर में सीमेंट जारी करने की अंतिम प्रविष्टि पेज स० 86,दिनांक 28-10-22 को दर्ज की गई थी जिसमे अंतिम शेष 236 बैग दर्शाया गया था जोकि वास्तव में 276 बैग होने चाहिए थे | स्टॉक रजिस्टर को सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित नही किया गया था | स्टॉक रजिस्टर में 40 बैग कम दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना स० 115,दिनांक 26-6-23 द्वारा सचिव, नगर

पंचायत से अनुरोध किया गया परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण अवधि में प्रस्तुत नही किया गया | अत: यदि स्टोर में भी वास्तविक रूप से 40 बैग कम है तो पूर्ण छानबीन करके कम दर्ज 40 बैग की वसूली बाजार भाव से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

18 यात्रा भत्ता ₹4266/- का अनियमित भुगतान :-

(क) नगर पंचायत के व्यय वाउचरो की जाँच करने पर पाया गया कि वाउचर स० 13 ,माह 9-22 द्वारा श्री ओमप्रकाश ,सचिव को 21-7-22 को रिवाल्सर से मनाली आने व जाने की यात्रा अपनी कार से करने पर यात्रा भत्ते की एवज में `₹2240/- का भुगतान किया गया था | यात्रा भत्ते बिल की जाँच में पाया गया की यात्रा कार्यक्रम को सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित /सत्यापित नही किया गया था | यात्रा अपनी कार से करने पर ₹8/- प्रति कि. मी. की दर से भुगतान किया गया था । हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी OM No. Fin.-C-B (7)14/98 ,दिनांक 8-12 -98 के पैरा 9 के अनुसार ग्रेड 1 व 2 स्तर के अधिकारी ही पैरा 10 (3) में दी गई शर्त के अनुसार अपनी कार का उपयोग करने के लिए अधिकृत है | अंकेक्षण अधियाचना स० 110 ,दिनांक 20-6-23 द्वारा इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध सचिव,नगर पंचायत से किया गया परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया | अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये अन्यथा भुगतान राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(ख) वाउचर स० 11,माह 8/22 द्वारा श्री अभिलाष कान्त ,(PMAY) को 1-1-22 से 24-6-22 तक 24 दिन नगर परिषद नेरचौक से नगर पंचायत रिवालसर तक आने व जाने की यात्रा करने पर ₹160/- प्रति दिन के हिसाब से ₹3840/- का भुगतान किया गया था जबकि अधिकारी द्वारा यात्रा भता बिल में अपनी यात्रा 9 AM से 6PM तक दर्शाई थी | यात्रा भत्ता नियम के अनुसार यदि अधिकारी 12 घंटे से कम समय तक अपने मुख्यालय से बाहर रहता है तो दैनिक भते का 70% का भुगतान किया जाना चाहिए था | अत: अधिकारी को किया गया अधिक भुगतान राशि ₹1152/- की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाये | अंकेक्षण अधियाचना स० 110 ,दिनांक 20-6-23 द्वारा इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध सचिव,नगर पंचायत से किया गया परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया |

(ग) वाउचर स० 12 माह 1-23 द्वारा श्री अजय कुमार,कनिष्ठ अभियंता को माह 9/22 से 12/22 तक 13 दिन नगर पंचायत रिवालसर से नगर परिषद नेरचौक तक आने व जाने की यात्रा करने पर दैनिक भत्ता ₹180/-का 70% के हिसाब से ₹1638/- का भुगतान किया गया था जबकि अधिकारी

द्वारा यात्रा भत्ता बिल में अपनी यात्रा 9AM से 5PM तक दर्शाई थी तथा नेरचौक में ठहराव केवल 10 AM से 4 PM तक का दर्शाया गया था | यात्रा भत्ता नियम व नोटिफिकेशन स० FIN(c)-B(7)-1 /2009 ,दिनांक 19-6-12 के अनुसार अधिकारी को ₹84/- का 70%के हिसाब से ₹764/- का भुगतान किया जाना चाहिए था | अत: अधिक भुगतान राशि ₹874/- की वसूली उचित माध्यम द्वारा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

19 इलेक्ट्रीशियन को भुगतान राशि ₹0.40 लाख का अनुबंध जाँच हेतु प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण अवधि के चयनित व्यय वाउचरो की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नानुसार श्री मेहर सिंह ,इलेक्ट्रीशियन को ₹40000/- का भुगतान किया गया था |

Sr.No.	Voucher No.	Amount
1	9/7-22	10000
2	29/9-22	15000
3	23/12-22	15000

अंकेक्षण अधियाचना स०106,दिनांक 19-6-23 द्वारा श्री मेहर सिंह ,इलेक्ट्रीशियन को ₹40000/- का भुगतान करने से सम्बन्धित अनुबंध की कॉपी ,नियम एव शर्ते अंकेक्षण को जाँच हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध सचिव नगर पंचायत से किया गया था ,परन्तु कोई भी अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत नही किया गया | अत: किए गए भुगतान को उचित ठहराने हेतु अन्यथा किए गए भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

20 (1) निर्माण कार्य :-

Work :- C/o Two shops and urinal near bus stand over toilet.

Contractor:- Sh Ramesh Kumar

Award Letter:- NP/Works/RWI-171-72,Dated 5-3-22.

Time:- 3 Months

Date of Completion:- 29-7-22

M.B. No.:- 32

Voucher No.:- 1/9-22

(क) संविदाकार को ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान बारे :-

नगर पंचायत रिवाल्सर के उपरोक्त कार्य की जांच करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका में निष्पादित मदों की अधिक मात्रा लेने के कारण संविदाकार को ₹7009/-का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र०सं०	**मद स०**	**मद का नाम**	**निष्पादित मात्रा**	**माप पुस्तिका में दर्ज मात्रा**	**अधिक दर्ज मात्रा**	**अनुमोदित दर**	**अधिक भुगतान राशि**
1	(c) 1	Lintels,Beams,Plinth beams etc.	27.98 Sqm	28.20 Sqm	0.22sqm	399.96 P.Sqm	88
2	4	Steel reinforcement for RCC works.	1469.24 Kg	1495.54 Kg	26.3 kg	88.96 p.kg	2340
3	9	Cement concrete flooring 1:2:4	54.41 Sqm	54.95 Sqm	0.54 sqm	410 P sqm	221
4	10	Finishing walls with Acrylic paint.	254.6 Sqm	275.63 Sqm	21.03 sqm	132.60 P.sqm	2788
5	E/I	Random rubble masonry.	0.71 Sqm	1.021 Sqm	0.31 sqm	5071 p.sqm	1572
						Total	7009

(ख) उपरोक्त कार्य के लिए 175 बैग सीमेंट के जारी किये गये थे जबकि थ्योरिटिकल सीमेंट खपत 161.4 बैग की दर्शाई गई थी जिस में यदि मान्य विचलन 3% को लिया जाये तो भी सीमेंट खपत 166 बैग बनती है जोकि जारी कुल सीमेंट बैग से 9 बैग अधिक है |अत: अधिक बैग जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक जारी बैग की वसूली बाज़ार भाव से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये | अंकेक्षण अधियाचना स० 109,दिनांक 20-6-23 द्वारा माप पुस्तिका में ली गई गणना की पुन: जाँच करके पूर्ण स्पष्टिकरण अंकेक्षण को प्रस्तुत करने का अनुरोध सचिव,नगर पंचायत से किया गया था ,परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया |

(2) Work -Repair of Path from Shiv Temple to Sh Ram Krishan house .

Contractor:- Sh Ramesh Kumar

Award Letter:- NP/Work-485,Dated 1-6-22.

Time:- 3 Months

Date of Completion:- 29-7-22

M.B. No.:- 32

Voucher No.:-2/9-22

(क) सविदाकार को ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान बारे :-

नगर पंचायत के उपरोक्त कार्य की माप पुस्तिका स० 32 की जाँच करने पर पाया गया कि मद स० 2,"P/L in position cement concrete of specified grade1:3:6" की कुल मात्रा 5.62 cum ली गई थी जबकि माप पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि वास्तविक निष्पादित मात्रा 4.5 cum थी जोकि 1.12 cum अधिक ली गई थी | उक्त मद की अनुमोदित दर ₹5694/- p.cum थी | माप पुस्तिका में 1.12cum अधिक मात्रा लेने के कारण संविदाकार को ₹6377/- का अधिक भुगतान किया गया था | अंकेक्षण अधियाचना स० 111,दिनांक 20-6-23 द्वारा माप पुस्तिका में ली गई गणना की पुन:जाँच करके पूर्ण स्पष्टिकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया | अत: अधिक भुगतान का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

21 निर्माण कार्य बिलों से स्त्रोत पर करों/शुल्कों की काटी गई ₹3.54 लाख को सम्बन्धित विभागों में जमा न करवाना :-

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों बिलों की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा संविदाकारों के विभिन्न निर्माण कार्यों बिलों से बिक्री कर कामगार कल्याण सेस व रॉयल्टी की स्त्रोत पर कटौती की गई थी , परन्तु निम्न विवरणानुसार, काटी गई कर/सेस ₹354231/- को संबन्धित विभागों मे अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक जमा नहीं किया गया था और न ही इस की प्रविष्टि रोकड़ वही में की गई थी जबकि नियमानुसार इन राशियों की प्रविष्टियाँ रोकड़ वही में दर्ज करने उपरान्त संबन्धित विभागों मे तुरंत जमा की जानी चाहिए थी ताकि भविष्य में किसी दण्डात्मक कार्यवाही की सम्भावना को नकारा जा सके।

क्र.सं	माह	कार्य विवरण	बिक्री कर(₹)	लेबर सैस	रॉयल्टी
1	9/22	C/o Two No. Shops and Urinal.Award Letter No.	11934	5967	1840

		N.P.Work/RWI-171-72,Dated 5-3-22			
2	9/22	Repair of Path from Shiv Temple. No.N.P.Work/485,dated 1-6-22.	-	347	766
3	9/22	C/o Path from Ram Lal house . No.NP RWI-484,Dated 1-6-22	-	532	3105
4	9/22	C/o Protection wall to path leading from Rah Lal House. No.NPRW-483,Dated 1-6-22		1048	4445
5	9/22	P/F Railing to path leading from bridge to Balveer house. No. NPRWI-490,Dated 1-6-22		950	=
6	6/22	Repair Maintenance of road fro Ambedkar Bhawan. No.NP work-487,Dated 1-6-22		968	5168
7	6/22	C/o Temporary shed for bailing machine . No. NP work/RWI-432,Dated 28-6-21		961	2400
8	8/22	C/o Children Park in W,No.6. No. NP Work-169-70,Dated 20-6-22		6975	987
9	10/22	C/o of two No. shop over N.P.store. No. NP Work-168-69,Dated 5-3-22	9066	4533	4413
10	10/22	C/o drain from trisagam school.N0.NP work-442,dated 28-6-22		1534	9429
11	1/23	C/o Multi Story Parking.No.NP Work/RWI/2020-258-65,Dated 3-6-20	49658	24829	174195
12	11/22	C/o Protection Wall to the house of Pawan Gupta. No.NP work/RWI-492,Dated 1-6-22	6392	3196	18593
		Total	**77050**	**51840**	**225341**

अंकेक्षण अधियाचना स०104 ,दिनांक 15-6-23 द्वारा अंकेक्षण अवधि 1-4-22 से 31-3-23 तक विभिन्न निर्माण कार्यो में काटे गये बिक्री कर, लेबर सेस व रॉयल्टी का पूर्ण विवरण तथा सम्बन्धित विभागों में जमा करवाई गई राशि के बैंक चा लान जाँच हेतु प्रस्तुत करने का निवेदन सचिव, नगर पंचायत से किया गया परन्तु कोई भी कार्यवाही अमल में नही लाई गई | अत: वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इस सन्दर्भ में अब अविलम्ब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ताकि नगर पंचायत को भविष्य में संबंधित विभाग से दंड प्रभार की राशि के कारण कोई हानि न उठानी पड़े और यदि सम्बंधित विभाग द्वारा राशि समय पर जमा न करवाने के लिए अथवा जमा न करवाने की दशा में दण्ड प्रभार लगाता है तो सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी इसके लिए निजी तौर पर जिम्मेवार होंगें इस सन्दर्भ में की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये |

22 नगर पंचायत द्वारा क्रय ₹0.21लाख के खाली बैग की स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना :-

नगर पंचायत के वर्ष 2022-23 के चयनित व्यय वाउचरो की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा प्लास्टिक कूड़ा को इकठ्ठा करने हेतु निम्न विवरणनुसार ₹21200 /- के खाली सीमेंट बैग क्रय किये गये थे परन्तु क्रय बैग की कोई भी प्रविष्टि स्टॉक /स्टोर में दर्ज नही की गई थी जोकि अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है | नियमानुसार प्रत्येक क्रय सामान को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके तथा खपत विवरण भी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है|

Sr.No.	Voucher No.	Bill No./Date	Firm	Iteam	Amount
1	18/9-22	Nil/ 7-9-22	Sh Chaman Lal	1000 Bags @ Rs.5/-	5000
2	24 /9-22	nil	Sh Mahesh Kumar	400 Bags @3/-	1200
3	C.Book page 223/30-12-22	Nil	Sh Ganga Ram	2000 Bags @Rs 5/-	10000
4	14/11-22	Nil	Sh Ganga Ram	1000 Bags @ Rs.5/-	5000
				Total	21200

अंकेक्षण अधियाचना स० 105 ,दिनांक 19-6-23 द्वारा सचिव, नगर पंचायत रिवाल्सर से स्टॉक रजिस्टरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ताकि क्रय सामानों की प्रविष्टियों व खपत विवरण की जाँच स्टॉक रजिस्टर से की जा सके, परन्तु अंकेक्षण अवधि में कोई भी स्टॉक रजिस्टर जाँच हेतु प्रस्तुत नही किया गया | अत: स्टॉक रजिस्टर का रख -रखाव न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा प्रत्येक बैग क्रय की प्रविष्टि खपत विवरण के साथ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

23 Plastic Waste को सीमेंट फैक्ट्री को भेजने हेतु ₹0.86 लाख के भुगतान बारे :-

नगर पंचायत के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा प्लास्टिक / सुखा कूड़ा को इकठ्ठा करके सीमेंट फैक्ट्री को किराये की गाडियों से भेजा जा रहा था जिस के लिए निम्न विवरणानुसार ₹86000 /- का भुगतान किया गया था :-

Sr.No.	Voucher No.	Vehical No.	Bill No./Date	Cement Factory	Amount
1	13/7-22	HP64 B-5556	092/1-5-22	Barmana	7000
2	13/7-22	HP64 B-5556	093/7-5-22	Barmana	7000
3	13/7-22	HP64 B-5556	094/13-5-22	Barmana	7000
4	13/7-22	HP64 B-5556	095/4-6-22	Barmana	7000
5	13/7-22	HP64 B-5556	096/11-6-22	Barmana	7000
6	13/7-22	HP64 B-5556	097/18-6-22	Barmana	7000
7	13/7-22	HP64 B-5556	098/2-7-22	Barmana	7000
8	13/7-22	HP64 B-5556	099/16-7-22	Barmana	7000
9	20/3-23	33C-1731	017/15-3-23	Bagha	10000
10	20/3-23	33C-1731	018/21-3-23	Bagha	10000
11	21/3-23	HP64-5556	113/10-3-23	Bagha	10000

जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा गाडियों के बिल एक ही क्रम में प्राप्त किये गये थे जबकी प्लास्टिक waste को अलग -अलग दिनों/माह में सीमेंट फैक्ट्री को भेजा गया था जो अपने-आप में ही संदिग्घ प्रतीत होता है तथा ऐसे में वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता तथा वाउचर के साथ सीमेंट फैक्ट्री की प्राप्ति रसीद, मात्रा व गेट पास की कॉपी भी सलंग्न नही थी | अंकेक्षण अधियाचना स० 110,दिनांक 20-6-23 द्वारा सचिव नगर पंचायत से फैक्ट्री की प्राप्ति रसीद /गेट पास व भेजी गई plastic waste की मात्रा का विवरण जाँच हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण अवधि में प्रस्तुत नही किया गया| अत: उपरोक्त विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है तथा समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा पूर्ण छानबीन करके यदि कोई अधिक भुगतान पाया जाता है तो वसूली की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 बिजली उपकर व शराब उपकर की प्राप्ति से सम्बन्धित उचित अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

नगर पंचायत के वितीय वर्ष 2022-23 के लेखो की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत को बिजली व शराब उपकर के रूप में कोई भी राशि प्राप्त नही हुए थी | नगर पंचायत द्वारा शराब उपकर व बिजली उपकर की प्राप्तियों के अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया था जिसके कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अवधि 1.4.2022 से 31.3.2023 तक कुल कितनी राशि संबधित विभागो से प्राप्ति हेतु बकाया थी। अंकेक्षण अधियाचना स० 98,दिनांक 12-6-23 द्वारा सचिव, नगर पंचायत से इस सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया गया था| अत: अपेक्षित अभिलेख का अनुरक्षण न करने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित अभिलेख का अनुरक्षण व अद्यतन करने के साथ-2 दिनांक 31.3.2023 तक के शराब उपकर व बिजली उपकर की बकाया राशियों की वसूली भी सुनिश्चित की जाए और कृत कारवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 नियमानुसार विभिन्न रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

लेखों की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा नियमानुसार निम्नलिखित रजिस्टरों/अभिलेख रख-रखा व नहीं किया गया था जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित

रजिस्टरों/अभिलेख का रख-रखा व नगर पालिका अधिनियम के अनुसार करना सुनिश्चित किया जाए:-

(1) G-8 issue Register

(2) T.Advance Register

(3) FDR Register

(4) Mobile Tower Fee Register

(5) Grant Register

26 **लघु आपति विवरणिका:-** यह अलग से जारी नहीं की गई है |

27 **निष्कर्ष:-** नगर पंचायत के लेखों में सुधार एवं लम्बित अंकेक्षण पैरों के निस्तारण हेतु ठोस कार्यवाही करने की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15) (V) 98/92 खण्ड–3–7074–7075 दिनांक 25.08.23, शिमला–09.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–2. को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत :– 2 सचिव, नगर पंचायत रिवाल्सर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.

परिशिष्ट– I (पैरा- 1 (ग) से सम्बन्धित)

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 02/1989 से 3/1993

1	पैरा-6	अनिर्णीत
2	पैरा-7(क)	अनिर्णीत
3	पैरा-7(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा-8(1)	अनिर्णीत
5	पैरा-8(2)	अनिर्णीत
6	पैरा-8(3)	अनिर्णीत
7	पैरा-8(5)(1,2)	अनिर्णीत
8	पैरा-8(6)(क)	अनिर्णीत
9	पैरा-8(6)(ख)	अनिर्णीत
10	पैरा-8(7)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1993 से 3/1995

1	पैरा-4(5)	अनिर्णीत
2	पैरा-4(6)	अनिर्णीत
3	पैरा-4(7)	अनिर्णीत
4	पैरा-8(8)(1,2)	अनिर्णीत
5	पैरा-8(3)	अनिर्णीत
6	पैरा-9	अनिर्णीत
7	पैरा-10	अनिर्णीत
8	पैरा-11(1)	अनिर्णीत
9	पैरा-11(2)	अनिर्णीत
10	पैरा-11(3)	अनिर्णीत

11	पैरा-11(4)	अनिर्णीत
12	पैरा-11(5)	अनिर्णीत
13	पैरा-11(6)	अनिर्णीत
14	पैरा-11(7)	अनिर्णीत
15	पैरा-11(8)	अनिर्णीत
16	पैरा-11(10)	अनिर्णीत
17	पैरा-11(12)	अनिर्णीत
18	पैरा-12(1)	अनिर्णीत
19	पैरा-13(1)	अनिर्णीत
20	पैरा-13(2)	अनिर्णीत
21	पैरा-13(3)	अनिर्णीत
22	पैरा-13(4)	अनिर्णीत

(ग)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/2001

1	पैरा-4	अनिर्णीत
2	पैरा-6	अनिर्णीत
3	पैरा-7	अनिर्णीत
4	पैरा-8(क)	अनिर्णीत
5	पैरा-8(ख)	अनिर्णीत
6	पैरा-8(ग)	अनिर्णीत
7	पैरा-8(घ)	अनिर्णीत
8	पैरा-8(ड.)	अनिर्णीत
9	पैरा-8(च)	अनिर्णीत
10	पैरा-9(क)(i)	अनिर्णीत

11	पैरा-9(क)(ii)	अनिर्णीत
12	पैरा-9(क)(iii)	अनिर्णीत
13	पैरा-9(ख)	अनिर्णीत
14	पैरा-10(क)	अनिर्णीत
15	पैरा-10(ख)	अनिर्णीत
16	पैरा-11	अनिर्णीत
17	पैरा-12	अनिर्णीत
18	पैरा-13	अनिर्णीत
19	पैरा-14	अनिर्णीत
20	पैरा-15	अनिर्णीत
21	पैरा-16(क)	अनिर्णीत
22	पैरा-16(ख)	अनिर्णीत
23	पैरा-16(ग)	अनिर्णीत
24	पैरा-16(घ)से(ड.)	अनिर्णीत
25	पैरा-16(च)से(झ)	अनिर्णीत
26	पैरा-17(क)(1से6)	अनिर्णीत
27	पैरा-17(ख)(1से6)	अनिर्णीत
28	पैरा-17(क)से(ड.)	अनिर्णीत
29	पैरा-17(च)(1,2)	अनिर्णीत
30	पैरा-17(छ)(क से ग)	अनिर्णीत
31	पैरा-17(ज)(1 से 3)	अनिर्णीत
32	पैरा-18	अनिर्णीत
33	पैरा-19(क से ग)	अनिर्णीत
34	पैरा-20(i,ii)	अनिर्णीत

35	पैरा-20(iii)(क से ग)	अनिर्णीत
36	पैरा-20(iv)	अनिर्णीत
37	पैरा-20(v)	अनिर्णीत
38	पैरा-20(vi)	अनिर्णीत
39	पैरा-21	अनिर्णीत
40	पैरा-22	अनिर्णीत
41	पैरा-23	अनिर्णीत
42	पैरा-24	अनिर्णीत
43	पैरा-25	अनिर्णीत

अवधि 4/95 से 03/2001 की अवधि के पैरा संख्या 25 में दर्शाई लघु आपत्ति विवरणी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई तथा उपरोक्त प्रतिवेदनों के पैरों के निरस्त करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2009

1	पैरा-2(क,ख)(1,2)	अनिर्णीत
2	पैरा-4(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा-4(घ)	अनिर्णीत
4	पैरा-4(ड.)(1 से 3)	अनिर्णीत
5	पैरा-4(छ)	अनिर्णीत
6	पैरा-4(ज)	अनिर्णीत
7	पैरा-4(झ)	अनिर्णीत
8	पैरा-4(ठ)	अनिर्णीत
9	पैरा-4(ढ)	अनिर्णीत
10	पैरा-5(क से ग)	अनिर्णीत

11	पैरा-6(क से ग)	अनिर्णीत
12	पैरा-6(ज से थ)	अनिर्णीत
13	पैरा-7(क से थ)	अनिर्णीत
14	पैरा-8	अनिर्णीत
15	पैरा-9	अनिर्णीत

(ड़) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011

1	पैरा-6(घ)	अनिर्णीत
2	पैरा-8(क)	अनिर्णीत
3	पैरा-8(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा-8(घ)(i से iii)	अनिर्णीत
5	पैरा-8(ड.)	अनिर्णीत
6	पैरा-9(क)	अनिर्णीत
7	पैरा-9(ख)	अनिर्णीत
8	पैरा-9(ग)	अनिर्णीत
9	पैरा-9(घ)	अनिर्णीत
10	पैरा-9(घ)(i से ii)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा-4(घ)	अनिर्णीत
2	पैरा-6(क)	अनिर्णीत
3	पैरा-6(ग)	अनिर्णीत
4	पैरा-7	अनिर्णीत
5	पैरा-8(क)(i)	अनिर्णीत

6	पैरा-8(क)(ii)	अनिर्णीत
7	पैरा-8(ख)(i)	अनिर्णीत
8	पैरा-8(ग)(i)	अनिर्णीत
9	पैरा-8(घ)(i)	अनिर्णीत
10	पैरा-8(घ)(ii व ण)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2015

1	पैरा-5	अनिर्णीत
2	पैरा-5(i)	अनिर्णीत
3	पैरा-6(1)	अनिर्णीत
4	पैरा-8	अनिर्णीत
5	पैरा-9	अनिर्णीत
6	पैरा-10	अनिर्णीत
7	पैरा-11	अनिर्णीत
8	पैरा-12	अनिर्णीत
9	पैरा-13	अनिर्णीत
10	पैरा-14	अनिर्णीत
11	पैरा-15	अनिर्णीत
12	पैरा-16	अनिर्णीत
13	पैरा-17	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2018

1	पैरा-4(ख)	अनिर्णित
2	पैरा-5	अनिर्णित
3	पैरा-6	अनिर्णीत

4	पैरा-7	अनिर्णीत
5	पैरा-8	अनिर्णित
6	पैरा-9	अनिर्णित
7	पैरा-10	अनिर्णीत
8	पैरा-11	अनिर्णीत
9	पैरा-13	अनिर्णीत
10	पैरा-14	अनिर्णीत
11	पैरा-15	अनिर्णीत
12	पैरा-16	अनिर्णीत
13	पैरा-17	अनिर्णीत
14	पैरा-18	अनिर्णीत
15	पैरा-20	अनिर्णीत
16	पैरा-21	अनिर्णीत
17	पैरा-22	अनिर्णीत
18	पैरा-23(ख)	अनिर्णीत
19	पैरा-23(ग)	अनिर्णीत
20	पैरा-26	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2018 से 3/2020

1	पैरा-4 (ख)	अनिर्णित
2	पैरा-4 (ग)	अनिर्णित
3	पैरा-6 (क, ग)	अनिर्णित
4	पैरा-7	अनिर्णित

5	पैरा-8	अनिर्णित
6	पैरा-9	अनिर्णित
7	पैरा-10	अनिर्णित
8	पैरा-12	अनिर्णित
9	पैरा-13	अनिर्णित
10	पैरा-14	अनिर्णित
11	पैरा-16	अनिर्णित
12	पैरा-18	अनिर्णित
13	पैरा-19	अनिर्णित
14	पैरा-20	अनिर्णित

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2020 से 3/2022

1	पैरा-3	निर्णित (ड्राफ्ट संख्या 265470, दिनांक 18.03.23 द्वारा प्रेषित)
2	पैरा-4 (क)	निर्णित
3	पैरा-4(ख)	अनिर्णित
4	पैरा-7	निर्णित
5	पैरा-7 (ख, ग)	अनिर्णित

6	पैरा-8	निर्णित (पुनः प्रारूपित)
7	पैरा-9 (क)	निर्णित (पुनः प्रारूपित)
8	पैरा-9 (ख)	अनिर्णित
9	पैरा-10	अनिर्णित
10	पैरा-11	अनिर्णित
11	पैरा-12	अनिर्णित
12	पैरा-13	अनिर्णित
13	पैरा-14	अनिर्णित
14	पैरा-15	अनिर्णित
15	पैरा-16	अनिर्णित
16	पैरा-17	अनिर्णित

अनिर्णीत पैरों का सार	
प्रारम्भिक शेष	172
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरों की संख्या	22
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निपटाए गए पैरों की संख्या	5
कुल	189